

भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
06.08.2025 के
अतारांकित प्रश्न सं. 2781 का उत्तर

उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक

2781. श्री आगा सैय्यद रूहुल्लाह मेहदी:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने कमज़ोर हिमालयी क्षेत्रों में चिनाब और अंजी खड्ड पुलों का कोई पर्यावरणीय प्रभाव आकलन किया है;
- (ख) यदि हाँ, तो स्थानीय पारिस्थितिकी और ढलान स्थिरता के लिए जोखिम सहित निष्कर्षों का मुख्य विवरण क्या है;
- (ग) उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक (यूएसबीआरएल) परियोजना के कारण होने वाले पारिस्थितिक असंतुलन को रोकने के लिए लागू किए गए सुरक्षा उपायों का विवरण क्या है;
- (घ) कश्मीर में स्थानीय रोजगार और पर्यटन पर परियोजना के मात्रात्मक प्रभाव का विवरण क्या है;
- (ङ) जून 2025 तक भूमि अधिग्रहण के कारण पूर्ण या आंशिक रूप से विस्थापित परिवारों की संख्या कितनी है और कितने परिवारों को मुआवजा और पुनर्वास प्राप्त हुआ है; और
- (च) विस्थापन और पुनर्वास से संबंधित लंबित दावों के समाधान के लिए मौजूद तंत्र का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (च): कुल 272 किलोमीटर लंबाई वाली उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक (यूएसबीआरएल) परियोजना हाल ही में कमीशन की गई है। उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला

रेल लिंक परियोजना जम्मू और कश्मीर के उधमपुर, रियासी, रामबन, श्रीनगर, अनंतनाग, पुलवामा, बडगाम और बारामूला जिलों को कवर करती है।

उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक परियोजना, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में शुरू की गई नई रेल लाइन परियोजनाओं में से कठिन दुर्गम परियोजना है। यह भूभाग युवा हिमालय क्षेत्र से होकर गुजरता है, जो भूवैज्ञानिक आश्चर्यों और असंख्य समस्याओं से भरा है। इस परियोजना में, रेलवे ने जम्मू और कश्मीर के रियासी ज़िले में चिनाब नदी पर विश्व के सबसे ऊँचे रेल पुल का निर्माण किया है। प्रतिष्ठित चिनाब पुल 1315 मीटर लंबा है, जिसका आर्च स्पैन 467 मीटर है और नदी तल से इसकी ऊँचाई 359 मीटर है। इस परियोजना में अंजी खड्ड पर भारतीय रेल का पहला केबल ब्रिज बनाया गया है। इसका ब्रिज डेक नदी तल से 331 मीटर ऊँचा है और इसके मुख्य स्तंभ की ऊँचाई 193 मीटर है।

उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक परियोजना से इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक उत्थान हुआ है और रोज़गार सृजन इसके प्रभाव का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इस परियोजना में 5 करोड़ से अधिक मानव-दिवस का रोज़गार सृजित हुआ है।

उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक परियोजना के सामाजिक-आर्थिक विकास संबंधी प्रयास का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू 215 किलोमीटर से अधिक लंबी संपर्क सड़कों का निर्माण है, जिसमें एक सुरंग और 320 छोटे पुलों का निर्माण शामिल है। इस सड़क नेटवर्क से स्थानीय लोगों को अन्य क्षेत्रों से संपर्क बढ़ाने और सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाने में सहायता मिली है।

उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक परियोजना में अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप, संरक्षा संबंधी पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं। 2 किलोमीटर से अधिक लंबी सभी सुरंगों में वायु गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए यांत्रिक वातायन प्रणाली लगाई गई है। सभी सुरंगों में आग की संभावित घटनाओं से तुरंत निपटने और उन्हें नियंत्रित करने के लिए अग्नि हाइड्रेंट और अग्निशामक यंत्रों सहित अग्निशमन प्रणालियाँ उपलब्ध कराई गई हैं। इसके अलावा, 3 किलोमीटर से अधिक लंबी सुरंगों में यात्रियों की संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निकास सुरंगें भी बनाई गई हैं। इस परियोजना में कुल 66 किलोमीटर निकास सुरंगें बनाई गई हैं।

हिमालयी पारिस्थितिकी में न्यूनतम व्यवधान सुनिश्चित करने के लिए, ढलान स्थिरीकरण पर उचित ध्यान दिया गया है और इस परियोजना के निष्पादन हेतु विश्व के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों की सहायता ली गई है। प्राकृतिक भू-भागों के क्षरण और क्षति को रोकने के लिए, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान के दिशानिर्देशों और विस्तृत डिज़ाइन परामर्शदाताओं के सुझावों के अनुसार ढलान स्थिरीकरण हेतु व्यापक योजनाएँ अपनाई गई हैं।

चिनाब पुल पर ढलान स्थिरता का डिज़ाइन भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली द्वारा तैयार किया गया था। चिनाब पुल पर ढलान स्थिरता की स्वतंत्र जाँच के लिए ऐसे कार्यों का अनुभव रखने वाली अन्य वैश्विक फर्मों को भी नियुक्त किया गया था। अनुभवी वैश्विक फर्मों द्वारा अंजी पुल के ढलान स्थिरता का डिज़ाइन तैयार किया गया और इसकी जाँच भी की गई थी।

इसके अलावा, चिनाब और अंजी खड्ड पुलों सहित कटरा-काजीगुंड नई रेल लाइन के निर्माण के कारण पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (नीरी), नागपुर द्वारा भी किया गया है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान द्वारा तैयार पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) के आधार पर व्यापक सुरक्षा उपाय और शमन उपाय क्रियान्वित किए गए हैं।

सुरंग से निकली सामग्री के प्रबंधन हेतु, प्राकृतिक नालों में जल-प्रवाह से पहले सुरंग के निकास द्वारों पर अवसादन (सेडिमेन्टेशन) टैंक बनाए गए हैं। जिन गाँवों में रिवर्स पंपिंग के कारण प्राकृतिक जल-स्रोत बाधित हो गए थे, वहाँ वैकल्पिक जल स्रोत उपलब्ध कराए गए हैं। सतही जल का सुचारु प्रवाह सुनिश्चित करने और मलबा यार्ड में कटाव को रोकने के लिए अपेक्षित स्थानों पर उचित पंक्तिबद्ध नालियाँ और सीढ़ीदार ढलान बनाए गए हैं।

सुरंग निर्माण के दौरान कंपन और पर्यावरणीय क्षति को कम करने के लिए नियंत्रित विस्फोट की उन्नत तकनीक को अपनाया गया। कटरा-बनिहाल खंड की सभी सुरंगों में परिचालन चरण के दौरान भी वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए सेंसर लगाए गए हैं।

समूची रेल परियोजना विद्युतीकृत है जिसमें सुरंगों और खुले भागों में ओवरहेड कंडक्टर प्रणाली का उपयोग किया गया है। रेल परिवहन अत्यंत पर्यावरण-अनुकूल

परिवहन साधन है, जो डीजल कर्षण की तुलना में काफी कम कार्बन फुटप्रिंट उत्सर्जित करता है।

यद्यपि पर्यावरण प्रबंधन योजना में जैव विविधता संरक्षण के विशिष्ट उपायों का उल्लेख किया गया है, तथापि स्थानीय पारिस्थितिकी की रक्षा में समग्र पर्यावरणीय शमन प्रयास शामिल हैं। डंपिंग स्थलों पर वृक्षारोपण संबंधी कार्यों हेतु साइट तैयार करने संबंधी दिशानिर्देशों में स्थानीय प्रजाति के पौधे लगाना और पारिस्थितिकी-पुनर्स्थापन के लिए घास लगाना शामिल है।

घाटी के इस हिस्से का भारतीय रेल नेटवर्क के बाकी हिस्सों के साथ हरेक मौसम में विश्वसनीय और आरामदायक रेल संपर्क होने से पर्यटन को बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा।

उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक परियोजना (272 किलोमीटर) पूरी तरह से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में निर्मित की गई है। भूमि अधिग्रहण प्रचलित 'जम्मू और कश्मीर राज्य भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1990' के अनुसार किया गया है। भूमि अधिग्रहण ज़िला प्रशासन द्वारा नियुक्त कलेक्टर भूमि अधिग्रहण के माध्यम से किया गया है।

भूमि स्वामित्व, संरचनाओं का आकलन, लाभार्थियों की पहचान, भूमि एवं संरचनाओं, पेड़ों आदि के लिए मुआवज़े की गणना की गई थी। इससे संबंधित निर्णय प्रकाशित किए गए और मुआवज़े की राशि वितरित की गई।

उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक परियोजना के लिए अधिगृहीत कुल भूमि में 1559.48 हेक्टेयर निजी भूमि और 276.71 हेक्टेयर सरकारी भूमि शामिल है। इन भूमि अधिग्रहण हेतु 816.21 करोड़ रु. की पूरी राशि संबंधित भूमि अधिग्रहण कलेक्टर के पास पहले ही जमा कर दी गई है। जम्मू और कश्मीर राज्य भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1990 की धारा 18 में भूमि अधिग्रहण से संबंधित लंबित दावों के निपटान संबंधी व्यवस्था पहले से ही शामिल है।

रेलवे, संबंधित राज्य/जिला प्राधिकरणों के माध्यम से भूमि का अधिग्रहण करती है। भूमि अधिग्रहण से संबंधित भूविस्थापितों को मुआवज़े की राशि का आकलन आदि

जैसे सभी कार्यकलाप राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में हैं। रेलवे से मुआवजे की मांग करने के बाद राज्य सरकार के राजस्व विभाग द्वारा भूविस्थापितों को भूमि अधिग्रहण के मुआवजे का भुगतान किया जाता है।
